

21 $\frac{2}{23}$

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा
न्यायिक कार्य स्वगत/वदिकार रखने
से पत्रावली दिनांक $24 \frac{2}{23}$ को पेश हो।

24 $\frac{2}{27}$

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा
न्यायिक कार्य स्वगत/वदिकार रखने
से पत्रावली दिनांक $3 \frac{3}{28}$ को पेश हो।

3 $\frac{3}{23}$

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा
न्यायिक कार्य स्वगत/वदिकार रखने
से पत्रावली दिनांक $10 \frac{3}{25}$ को पेश हो।

10-3-23

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा
न्यायिक कार्य स्वगत/वदिकार रखने
से पत्रावली दिनांक $24 \frac{3}{23}$ को पेश हो।

24-3-23

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा
न्यायिक कार्य स्वगत/वदिकार रखने
से पत्रावली दिनांक $31 \frac{3}{23}$ को पेश हो।

31 $\frac{3}{23}$

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित
तहसीलदार मांडल से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त
हुंझा जिसे शामिल पत्रावली किया गया।
वकील वादी ने बहस करनी चाही, बहस
सुनी गयी। बहस के दौरान वाद पत्र को स्वीकार लिये



जाने का निवेदन किया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, तहसीलदार
मांडल से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर मंजूर
किया। वकील वार्दा का वाद पत्र स्वीकार
किया जाकर प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार
पर वार्दा एवं प्रतिवादी गण 01 लगायत 02 के
मध्य निम्नांकित कप से शाखस्व रिकार्ड में
दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।
उसी अनुसार वार्दा एवं प्रतिवादी सं. 1, 2 के
मध्य शाखस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे।

1. श्री यन्ना जोगी होगा खारोल सा. देह खातेदार
निवासी - भवावनपुरा त० मांडल

आराजी नं.

रकबा

4901/1158/1

0.1756 हेक्टर

2. श्री भोजा जोगी होगा खारोल 878 सुरेश ज. भोजाराम
781 1659
1659 खारोल सा. देह खातेदार निवासी - भवावनपुरा
त० मांडल

आराजी नं.

रकबा

4901/1158/2

0.1659 हेक्टर

उक्तानुसार भूमि वार्दा एवं प्रतिवादी गण 01 लगायत
02 के मध्य हक लिस्सेनुसार तहसीलदार मांडल
शाखस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। तदनुसार
डिक्की जारी है। शर्चा फरिडेक अपना-अपना वहन
करे। पत्रावली फंसल शुमार लेकर नम्बर से
कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

डिक्री

(आ० 20 नियम 6 / जा०दी०)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान
वईजलास श्री हुंकराचंद मोहलानिया (आ०२०२०२०)

अनवान प्रकरण

श्री पन्ना ड।० श्री होगा खारोल निवासी - भगवानपुरा तहसील - मांडल

वादी

वनाम

1. श्री भोजा ड।० श्री होगा खारोल निवासी - भगवानपुरा तहसील - मांडल
2. श्री सुरेश ड।० श्री भोजाराम खारोल निवासी - भगवानपुरा तहसील - मांडल
3. राजस्थान राज्य अरिष्ट तहसीलदार सा० माण्डल तहसील - मांडल

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 53-54 मुकदमा नं० / वर्ष 33/22 निर्णय दिनांक 31-03-23

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिरमल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी
मिनजानिब मुददई व श्री राजेश तिवारी Advr. मन्लाभिव मुदावला पेश होकर हुकम

दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि वकील वादी का वाद पत्र स्वीकार किया
जाकर ग्राम भगवानपुरा पखार हल्का भगवानपुरा तहसील मांडल में स्थित
भूमि का वादी ऐव प्रतिवादी से 1 व 2 के मध्य निर्मांकित अनुसार क्रमि
राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

1. श्री पन्ना ड।० श्री होगा खारोल सा० देह खातेदार निवासी - भगवानपुरा
तहसील मांडल

आशानो नं०

4901/1158/1

रकबा

0.1756 हेक्टेयर

— निरन्तर —>

आज तारीख 31-03-23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय को मोहर से जारी की
गई।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा राजस्थान

२- श्री भोजा डा० श्री कौशा श्वारोल $\frac{878}{1659}$ सुरेश डा० श्री भोजाराम

$\frac{781}{1659}$ श्वारोल सा-देह श्वारोल निवासी-भगवानपुरा तंमांडल

अराजी में

रकबा

4901/1158/2

0.1659 हेक्टेयर

उक्तानुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं० 1, 2 के मध्य एक
हिस्सेनुसार तहसीलदार मांडल राजस्व रिकार्ड में अमल
दरामद करे। श्वर्चा फविकेम अपना-अपना वहन करे।


उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा